GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

E-mail: elementaryps@gmail.com - Site: www.harprathmik.gov.in

सेवा में,

राज्य के सभी,
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांक– 33/32–2022 पी0एस0 (ई0–1)
दिनांक पंचकूला :– **22.01.2026**

विषयः– **नियम 134–ए के तहत पदोन्नत छात्रों की बकाया फीस की प्रतिपूर्ति बारे।**

****

उपरोक्त विषय पर के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 134–ए के अंतर्गत पदोन्नत छात्रों की बकाया फीस की प्रतिपूर्ति हेतु 2153 विद्यालयों से क्लेम प्राप्त हुए हैं। विद्यालयों को क्लेम राशि जारी करने से पूर्व जिला स्तरीय कमेटी से डाटा सत्यापित करवाने हेतु दिशा–निर्देश तैयार किए गए हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. डाटा सत्यापन की प्रक्रिया में कमेटी का गठन करते हुए सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सैक्शन ऑफिसर एवं सम्बन्धित खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी को शामिल किया गया है।
2. Login गतिविधि के लिए सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा कार्यालय का MIS यूज़र नेम और पासवर्ड काम करेगा।
3. डाटा सत्यापन की प्रक्रिया को मोबाईल पर OTP द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो कि सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के मोबाईल पर प्राप्त होगा।
4. **अंतिम तिथि 08.02.2026** के पश्चात् डाटा सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।
5. पोर्टल में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए विभाग की हैल्पलाईन नं0 0172–5049801 व **ई–मेल– hryedu.fee134@gmail.com** पर भी संपर्क किया जा सकता है।
6. डाटा सत्यापन की प्रक्रिया बारे User Manual संलग्न कर दिया जाएगा।
7. कमेटी सदस्य स्कूलों का डाटा सत्यापित करते समय निम्न मदों पर विशेष ध्यान देंगे–

(i) स्कूलों द्वारा जिन छात्रों का क्लेम किया गया है कमेटी ये सुनिश्चित करेगी की स्कूल उस स्तर तक विभाग से मान्यता प्राप्त है उदाहरणार्थः यदि स्कूल पाँचवी तक मान्यता प्राप्त है तो केवल पाँचवी कक्षा तक के छात्रों के क्लेमों को ही Eligible किया जाए तथा छठी से आठवीं तक के छात्रों के क्लेम रिजेक्ट किये जाएँ।

(ii) कमेटी द्वारा इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा कि स्कूल **ग्रामीण या शहरी** क्षेत्र में से किस श्रेणी का है क्योंकि इससे स्कूल के क्लेम राशि पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा।

(iii) स्कूलों द्वारा क्लेम के सम्बन्ध में जो बैंक अकाउंट नं0, पैन नं0 इत्यादि दिए गए होंगे उन्हें मूल दस्तावेजों के साथ कम्पेयर किया जाना होगा।

(iv) SRN और MIS डाटा के माध्यम से छात्रों के नामांकन का पता किया जाए।

(v) छात्रों के Aadhar No. व EWS/BPL स्टेटस के आधार पर उनके विद्यालय में रहने के वास्तविक महीने/तिथि को सत्यापित करना सुनिश्चित करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों से प्राप्त डाटा को निर्धारित तिथि 08.02.2026 से पूर्व सत्यापित करना सुनिश्चित करें ताकि विद्यालयों को बकाया राशि की प्रतिपूर्ति समय पर की जा सके।

नोटः– **जाँच कमेटी यह भी सुनिश्चित करेगी कि विद्यालय द्वारा सम्बन्धित विद्यार्थियों का क्लेम सम्बन्धित सत्र हेतु पहले कभी नहीं लिया गया हो व जाँच कमेटी इस सम्बन्ध में विद्यालयों से अण्डरटेकिंग लेगी कि इन छात्रों द्वारा पहले विभिन्न सत्रों में डाटा सबमिट नहीं किया गया है या क्लेम की राशि नहीं ली गई है।**

22.01.2026

अधीक्षक पी0एस0 (ई0)
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक सम–
दिनांक– 22.01.2026

उपरोक्त की एक प्रति उपनिदेशक, आई0टी0सैल को भेजते हुए अनुरोध है कि नियम 134–ए के प्रतिपूर्ति हेतु तैयार पोर्टल को अंतिम तिथि 08.02.2026 तक खुला रखा जाए ताकि कमेटी द्वारा समय पर स्कूलों के क्लेम सत्यापित किये जा सकें।

अधीक्षक पी0एस0 (ई0)
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला